पत्रांक /5455 /आयु०कर0उत्त0 / वाणि0कर / आई0टी0अनुभाग / 2014–14 / देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(आई0टी0–अनुभाग)
देहरादून :: दिनाँकः: 19 फरवरी ,2015

:–विज्ञप्तिः–

(व्यापारियों हेतु प्रक्रिया On Line CST Registration के सम्बंध में)

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धिकर नियमावली, 2005 की धारा–55 सपठित केन्द्रीय बिक्री कर (उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम–9 के द्वारा प्रदत प्राधिकार का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रान्त मे पंजीकृत व्यापारियों द्वारा मैनुवल केन्द्रीय पंजीयन आवेदित किये जाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए एतद्द्वारा केन्द्रीय पंजीयन आवेदन हेतु नई ऑनलाईन प्रक्रिया प्रतिस्थापित की जाती है। इस प्रकार प्राविधानित नई प्रक्रिया के अनुसार विभाग द्वारा तैयार किये गये सॉफ्टवेयर के माध्यम से On Line केन्द्रीय पंजीयन प्रार्थना पत्र दाखिल करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

step 1-. व्यापारी द्वारा विभागीय वैबसाईट www.comtaxappl.uk.gov.in पर अपने यूजर आई0 डी0 एवं पासवर्ड से लॉग इन किया जायेगा।

step 2- उसके बाद स्क्रीन पर बाईं ओर प्रदर्शित हो रही रिपोर्ट में से "CST रजिस्ट्रेशन" पर क्लिक करना है।

step 3- इसके उपरांत उपलब्ध विकल्पों में से "न्यू एप्लिकेशन" पर क्लिक करने पर एप्लिकेशन का फॉरमेट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा।

step 4- "Application for CST registration Under" के अन्तर्गत सामने बने बॉक्स के dropdown से व्यापारी सम्बन्धित केन्द्रीय धारा, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय पंजीयन लिया जाना है, का चयन किया जायेगा।

step 5- बिन्दु संख्या 1 से लेकर 10 तक व्यापारी द्वारा अपने व्यापार से सम्बन्धित सूचनाये अंकित की जायेंगी ।

step 6- बिन्दु संख्या 11 में व्यापारी द्वारा फर्म के प्रॉपराईटर, पार्टनर या व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों का विवरण अंकित किया जायेगा। एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बारे मे सूचना अंकित करने हेतु Add के option का प्रयोग किया जायेगा।

क्र0सं0 02

step 7- बिन्दु संख्या 12 से 14 तक व्यापारी द्वारा व्यापार से सम्बन्धित विवरण अंकित किये जायेंगे।

step 8- बिन्दु संख्या 15 में केन्द्रीय पंजीयन के अन्तर्गत वांछित वस्तुओं को अंकित किया जायेगा। इसके लिये "Class of Good" के अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे।

A. **Purchase by Dealer** इसके अन्तर्गत व्यापारी उन वस्तुओ का उल्लेख करेगे जिन्हे उनके द्वारा खरीदने के उपरान्त निम्नलिखित 08 उददेश्यो हेतु प्रयोग किया जायेगा।

01 For Resale
02 For use of Manufacture or Processing of goods for sale
03 For use in mining
04 For use in the generation of electricity or any other form of power
05 For use in the distribution of electricity or any other form of power
06 For use in telecommunications network
07 For use in the packing of goods for sale or resale
08 For packing of goods or containers

B. **Produced by Dealer** इसके अन्तर्गत व्यापारी उन वस्तुओ का उल्लेख करेगे जिन्हे उनके द्वारा उत्पादन के उपरान्त निम्न उददेश्यो हेतु प्रयोग किया जायेगा।

01 Manufactured for sale
02 Processed for sale
03 Extracted in mining for sale
04 Form of power generated
05 Form of power distributed
06 Description and type of telecommunication network

step 09- इसके पश्चात "major category" के अन्तर्गत commodity group का चयन किया जायेगा।

step 10- उपरोक्त major category चयन करते ही minor category में उपरोक्त major category के अन्तर्गत आने वाली वस्तुयें स्वतः ही प्रदर्शित होने लगेंगी। इन वस्तुओं में से किसी भी वस्तू का चयन किया जा सकता है और यदि minor category के अन्तर्गत वस्तु उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में other than above का ऑप्शन चयन किया जायेगा और इसके उपरांत sub category के अन्तर्गत वस्तु का व्यापारिक या प्रचलित नाम भी अंकित किया जा सकता है।

step 11- इसके उपरान्त उपरोक्त को "Save" करने हेतु "Save Commodities" के बटन पर Click करें। जिससे चयन किए गए विकल्प उपर Grid के रूप में दिखाई देंगें।

step 12- Step 8 से लेकर 11 तक की प्रक्रिया को बार–बार प्रयोग करते हुए एक से अधिक वस्तुओं का चयन किया जा सकता है।